न्यायालय, मुंसिफ, अनु0 व्यवहार न्यायालय डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–153 / 1994

अशोक कुमार – वादी

बनाम्

सुभाष प्रसाद अन्य– प्रतिवादी

आदेश

15.02.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है एवं प्रतिवादी के तरफ से समयावेदन दिया गया। आवेदक उमेश कुमार गुप्ता द्वारा आदेश–1 नियम–10 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक–21.09.2022 को दिया है और कथन किया है कि वर्तमान मुकदमा वादी ने अन्य खाता खेसरा के अलावा खाता सं0–539 प्लाट नं0–295 तथा खाता 538 प्लाट नं0–289 एवं 290 तथा खाता नं0–540 प्लाट नं0–300 के निमित्त दाखिल किया है जिसका खतियान आवेदक के बाबा भगवान प्रसाद के नाम से है। वर्तमान मुकदमा में आवेदक के पिता अविनाश प्रसाद को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था लेकिन वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 सुभाष प्रसाद वगैरह एक साजिस के तहत आवेदक के पिता अविनाश कुमार का नाम अर्जी से दिनांक–31.10.2013 को डिलिट करा दिए जबकि पूर्व पक्षकार अविनाश कुमार के पुत्र आवेदक है जिनके बाबा के नाम से खतियान है। आवेदक का डायरेक्ट इन्ट्रेस्ट विवादित एराजी में है। वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी नं0–1 सुभाष प्रसाद गुप्ता ने जाल करके फर्जी तरीके से चुपके–चुपके एक सुलहनामा भी दिनांक–19.10.2020 को न्यायालय में दाखिल किया है जिसमें आवेदक का खाता नंबर 540, 539 एवं 538 भी शामिल है। विवादग्रस्त एराजी में आवेदक का डायरेक्ट इन्ट्रेस्ट है वादी एवं प्रतिवादी नं0–1 जाल फरेब करके आवेदक की एराजी को अकेले हड़पना चाहते हैं जबकि आवेदक का हित विवादित एराजी में निहित है वो आवेदक मुकदमा में जरूरी पक्षकार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं कानून के आलोक में आवेदक उमेश कुमार गुप्ता पिता स्व0 अविनाश प्रसाद को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाए ताकि प्रतिवादीगण बयान तहरीरी दाखिल कर कंटेस्ट कर सके।

आवेदक अशोक कुमार गुप्ता द्वारा प्रतिउत्तर दिनांक–25.11.2023 को दाखिल किया गया है और कथन किया है कि आवेदक का पक्षकार बनने का आवेदन पोषणीय नहीं है। उपरोक्त वाद एकरारनामा दिनांक–20.11.1992 जो वादी एवं प्रतिवादी नंबर–1 के बीच हुआ था उसे वादी गलत इलिगल घोषित कराने के लिए किया गया

था। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी संख्या–1 सुभाष चन्द्र गुप्ता द्वारा किए गए एकरारनामा से क्षुब्ध वो असंतुष्ट था। जिसके चलते आवश्यक पक्षकार सुभाष चन्द्र गुप्ता है इसी वजह से पक्षकार बनाया गया। कुर्सीनामा के अनुसार शिवध्यान साहु के दो लड़के भरत साहु एवं भगवान साहु है। भरत साहु के दो लड़के सुभाष चन्द्र गुप्ता एवं अशोक कुमार गुप्ता है। भगवान साहु के लड़के केदार साहं, अवधेश साह, अविनाश साहु एवं काशीनाथ साहु हुए। भरत साहु वो भगवान साहु के वंशजों में बंटवारा हो गया है। एकरारनामा में वही एराजी का विवरण दिया गया है। जो भरत साहु के लड़कों को हिस्सा में मिला था यही कारण है कि भगवान साहु के लड़कों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक ने अपने आवेदन में खाता नंबर–539 प्लाट नंबर–295 का जिक्र किया है वह 3 डी0 रकबा का खतियान दर्ज है जिसमें 1–1/2 डी0 भरत साहु का हिस्सा है वो 1–1/2 डी0 भगवान साहु के लड़कों का हिस्सा है। जिस हिस्से के अन्तर्गत आवेदक है। जिसके लिए भगवान साहु के लड़को ने दिनांक–17.08.1991 को आपस में 1–1/2 डी0 के निस्वत रजिस्टर्ड बंटवारा किए एवं 1–1/2 डी0 जमीन भरत साहु के लड़कों के जिम्मे छोड़ दिए जो रजिस्टर्ड बंटवारा के चौहदी से अवगत होगा। विविध वाद सं0–63 एवं 64 सन् 1976 में आवेदक के पिता अविनाश प्रसाद अपने गवाही में बयान दिया है कि हम सभी भाई अलग–अलग हैं। खाता सं0–538 प्लाट 289 एवं 290 का जिक्र जो आवेदक ने किया है जिसमें 289 भरत साहु के लड़के वादी एवं प्रतिवादी नंबर–1 को मिला वो 290 आवेदक के पिता भगवान साहु के जिम्मे छोड़ दिया यानि दोनों मिलाकर 8 डी0 में 4 डी0 का विषयांकित भूखण्ड में दिया गया है जहां तक खाता नंबर 540 प्लाट नंबर–300 की बात है। उक्त प्लाट के बदले ब्रहम्पुर मिठाई की दुकान दी गई थी। उस दिन से उक्त प्लाट के रकबा 2 डी0 पर सुभाष चन्द्र गुप्ता का दखल कब्जा है वो उसका लगान रसीद सुभाष चन्द्र गुप्ता के नाम से निर्गत होता है। चकबंदी पदाधिकारी ब्रहम्पुर के आदेश दिनांक–28.12.1990 एवं वाद संख्या–121 सन् 1988–89 खाता नंबर–540 प्लाट नंबर–300 रकबा 2 डी0 का चक खतियान वादी सुभाष चन्द्र गुप्ता के नाम से बनाने का आदेश हुआ। उक्त वाद में भगवान साह के लड़के विपक्षी है। चकबंदी पदाधिकारी ब्रहम्पुर के वाद संख्या–831 सन् 1987–88 के आदेश दिनांक–12.09.1989 में भगवान साहु के लड़कों ने उक्त वादी के दावा को समर्थन किया है कि खेसरा नंबर–295 रकबा 3 डी0 तथा खाता नंबर–538 में भरत साहु का नाम दर्ज होना छुट गया है। मुकदमा नंबर–60 सन् 1991 के आवेदन के जबाव भगवान साहु के लड़के (आवेदक) के चाचा ने कबुल वो स्वीकार किया है कि हम दोनों पक्षकारों में बंटवारा हो चुका है अब संपत्ति इजमालन नहीं रह गया है। आवेदक का कहना है कि वादी एवं प्रतिवादी नंबर–1 सुभाष चन्द्र गुप्ता साजिश के तहत आवेदक के पिता अविनाश कुमार का नाम अर्जी से डिलीट हो गया है जबकि

वास्तविकता है कि सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश 1 नियम 9 एवं आदेश 1 नियम 3(ए) में उल्लेखनीय है मुकदमा में आवश्यक पक्षकार न हो वो पक्षकार की अनुपस्थिति के चलते विचारण बिलंब हो रहा है तो न्यायालय उसे हटाने का निर्देश दे सकता है। उक्त वाद में विचारण के दौरान न्यायालय ने महसुस किया कि आवश्यक पक्षकार वही है उसे मौखिक रूप से डिलीट करने का निर्देश हुआ। तब वादी ने उक्त वाद में डिलीट करने का आवेदन दिया। तत्पश्चात आवेदन स्वीकृत होने के बाद पक्षकारों को डिलीट किया है। जब उमेश कुमार के पिता वादी वो प्रतिवादी की एराजी से अलग हो गये वो उनकी एराजी उक्त मुकदमा में नहीं दी गयी। अविनाश कुमार अपने भाईयों से रजिस्टर्ड बंटवारा कर लिए तो डायरेक्ट इंटेरेस्ट विवादित एराजी में कहॉ रह गया। यह सब रमेन्द्र कुमार ने परेशन करने के लिए आवेदन दाखिल कराया है। उपरोक्त मुकदमा में सही ढंग से वादी एवं प्रतिवादी ने सुलहनामा में खाता नंबर–540, 539 एवं 538 में वही एराजी का विवरण दिया है जो वादी एवं प्रतिवादी नंबर–1 के पिता को उक्त एराजी बंटवारा से मिली है यह वाद आवेदक के पूर्व से ही जानकारी है। जान बूझकर मुकदमा में बिलंब डालने के लिए उक्त आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक को विवादित भूखंड में न तो इंट्रेस्ट है और न वह आवश्यक पक्षकार है और न ही विलंब से आने का कोई कारण ही दिया गया है। ऐसी स्थिति में मुकदमा खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि आवेदक के आवेदन दिनांक–21.09.2022 खारिज किया जाए।

प्रतिवादी के द्वारा उक्त आवेदन दिनांक–21.09.2022 का प्रतिउत्तर दिनांक–15.02.2023 को दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी की ओर से कथन किया गया है कि आवेदक पक्षकार बनाने का आवेदन कानूनी रूप से सही नहीं है। उपरोक्त वाद एकरनामा दिनांक–20.11.2022 जो वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 के बीच हुआ था उससे वादी गलत इलीगल घोषित कराने के लिए था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–1 सुभाष चन्द्र गुप्ता द्वारा दिए गए एकरारनामा से असंतुष्ट था जिसके चलते आवश्यक पक्षकार सुभाष चन्द्र गुप्ता को इसी वजह से पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त वाद में आवेदक के वंशजों को पार्टी बनाया गया था तथा दिनांक–09.07.1994 को सम्मन भेजा गया था और दिनांक–14.07.1994 को सम्मन पर आवेदक वंशज ने सम्मन पाया है। उपरोक्त वाद में दिनांक–14.07.1994 को आवेदक वंशजों ने 2013 तक कोई जबाव नहीं आया ना ही हाजिर हुए तब मुकदमा लंबित होने के कारण दिनांक–09.09.2013 को वादी के द्वारा आवेदन दिया गया कि आवेदक के वंशज की वाद में कोई आवश्यकता नहीं है तब श्रीमान् के न्यायालय के द्वारा दिनांक–31.10.2013 को आदेश हुआ कि अर्जी सुधार किया जाए। आवेदक को पूर्व में जानकारी थी कि उपरोक्त वाद के वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 का कोई लेना देना नहीं था लेकिन दिगर व्यक्तियों

के बहकावे में आकर उपरोक्त वाद लंबित करना चाहते है तथा उपरोक्त वाद सम्मन भेजने के 19 वर्ष के बाद अर्जी में संशोधन किया गया ताकि उचित न्याय मिल सके। शिवध्यान साहु के दो लड़के सुभाष चंद्र गुप्ता और अशोक कुमार गुप्ता है भगवान साह के लड़के केदार साह, अवधेश साह, अविनाश साह एवं काशीनाथ साह हुए। भरत साह एवं भगवान साह 1/2 के हिस्सेदार है भरत साह एवं भगवान साह के वंशजों में बंटारा हो गया है एकरारनामा में वही एराजी का विवरण दिया गया है जो भरत साह के लड़को को हिस्सा में मिला था यही कारण हे कि भगवान साह के लड़कों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक के द्वारा आवेदन में दिया गया खाता खेसरा रकबा से संबंधित पुराना खेसरा 236 से है तथा पुराना खेसरा 236 से संबंधित टी0एस0–31/1954 का मुकदमा चला जिसमें आयुक्त का रिपोर्ट दिनांक–03.02.1955 को आया कि पुराना खेसरा 236 पर शिवध्यान साह का दखल कब्जा तथा प्रतिवादी संख्या–19 है तथा प्रतिवादी संख्या–19 की मृत्यु हो जाने के बाद शिवध्यान साह के दोनों पुत्रों का टी0एस0–31/1994 में प्रतिस्थापित किया गया है। पुराना खेसरा 236 से नया खेसरा 289, 290 बना है। फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट सं0–2 बक्सर के न्यायालय में विविध अपील नंबर–22/2012 आवेदक काशीनाथ प्रसाद के द्वारा आवेदन दिनांक–26.04.2013 को दिया गया कि मूल वाद वो उक्त वाद से प्रार्थी को कोई लेना देना नहीं है। मुझे जान बूझकर मुकदमा विलंब डालने हेतु अपील में पक्षकार बनाया गया है। आवेदक के दादा स्व0 भगवान साह के वंशज आवेदक के पिता अविनाश प्रसाद ने विविध वाद 63–64/1976 में स्वीकार किया है कि हम सभी भाई अलग–अलग है तथा भरत साह के वंशज ने सुभाष चंद्र गुप्ता ने भी चकबंदी पदाधिकारी ब्रहम्पुर के वाद संख्या–121/1988–89 में यह स्वीकार किया है कि आपसी खानगी बंटवारा 1978 में ही हो चुका है चकबंदी पदाधिकारी ब्रहम्पुर के आदेश दिनांक–28.12.1990 में हुआ कि खाता संख्या–540 खेसरा 300 रकबा 2 डी0 सुभाष चंद्र गुप्ता के नाम दर्ज किया जाए तथा इस मुकदमा में भगवान साह के वंशज प्रतिवादी थे। खाता 538 प्लाट 289, 290 का जिक्र जो आवेदक ने किया है जिसमें 289 भरत साह के लड़के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को मिला वो 290 आवेदक के दादा भगवान साह के जिम्मे छोड़ दिया यानि दोनों मिलकर 8 डी0 में 4 डी0 का विषयांकित भूखंड में दिया गया है। जहां तक खाता नंबर 540 खेसरा नंबर 300 की बात है उक्त प्लाट के बदले ब्रहम्पुर मिठाई की दूकान दी गयी थी उस दिन से उक्त प्लाट के रकबा 2 डी0 पर सुभाष चंद्र गप्ता का दखल कब्जा है वो उसका लगान रसीद सुभाष चंद्र गुप्तप के नाम से निर्गत होता है। चकबंदी पदाधिकारी ब्रहम्पुर के वाद सं0–831 सन् 1987–88 के आदेश दिनांक–12.09.1989 के अवलोकन से मालुम होगा कि भगवान साह के लड़कों ने उक्त वाद का दावा को समर्थन किया है कि खेसरा नंबर 295 रकबा 3 डी0 तथा खाता नंबर 538 में भरत साह के नाम दर्ज होना

छुट गया है। मुकदमा नंबर 60 सन् 1991 के आवेदन के जबाव भगवान साह के लड़के के चाचा ने स्वीकार किया है कि हम दोनों पक्षकारों में बंटवारा हो चुका है अब संपत्ति इजमालन नहीं रह गया है। वादी एवं प्रतिवदी नंबर 1 सुभाष चंद्र गुप्ता साजिस के तहत आवेदक के पिता अविनाश कुमार का नाम अर्जी से डिलीट हो गया है जबकि वास्तविकता है कि सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश 1 नियम 9 एवं आदेश 1 नियम 3(ए) में उल्लेखनीय है मुकदमा में आवश्यक पक्षकार न हो वो पक्षकार की अनुपस्थिति के चलते विचारण बिलंब हो रहा है तो न्यायालय उसे हटाने का निर्देश दे सकता है। उक्त वाद में विचारण के दौरान न्यायालय ने महसुस किया कि आवश्यक पक्षकार वही है उसे मौखिक रूप से डिलीट करने का निर्देश हुआ। तब वादी ने उक्त वाद में डिलीट करने का आवेदन दिया। तत्पश्चात आवेदन स्वीकृत होने के बाद पक्षकारों को डिलीट किया है। जब उमेश कुमार के पिता वादी वो प्रतिवादी की एराजी से अलग हो गये वो उनकी एराजी उक्त मुकदमा में नहीं दी गयी। अविनाश कुमार अपने भाईयों से रजिस्टर्ड बंटवारा कर किए जिसमें प्लाट 295 प्लाट में 1–1/2 डी0 अपने रखे तथा 1–1/2 डी0 जमीन चौहदी में दक्षिण तरफ सुभाष चंद्र गुप्ता वगैरह को दे दिए भगवान साह के वंशजों ने 1991 में रजिस्टर्ड बंटवारा किए इसके 1 साल के बाद भरत साह के वंशजों ने 20.11.92 को बंटवारा कर लिए तो डाइरेक्ट इंटररेस्ट विवादित एराजी में कहां रह गया यह सब रमेंद्र कुमार ने परेशान करने के लिए आवेदन दाखिल कराया है। उपरोक्त मुकदमा में सही ढंग से वादी वो प्रतिवादी ने सुलहनामा में खाता नंबर 540, 539, 538 में वही एराजी का विवरण दिया है जो वादी वो प्रतिवादी नंबर 1 को उक्त बंटवारा से मिली है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि दिनांक–21.09.2022 का आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं आवेदन एवं प्रतिउत्तर में वर्णित तथ्यों व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों सगे भाई है और आवेदक के पिता पूर्व में प्रतिवादी बनाये गये थे जो कि विधिक तौर पर उक्त वाद में अपना हित रखते थे। वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा जिस एकरारनामा को शून्य घोषित कराने के लिए यह वाद दाखिल किया गया था उसमें उन दोनों के समझौता कर लेने पर आवेदक का हित प्रभावित होगा। आवेदक के पिता जब वाद में प्रतिवादी थे तो उन्होंने लम्बे समय तक इस वाद में अपना कोई जबाव दाखिल नहीं किया था और वाद की कार्यवाही लम्बे समय तक लम्बित रही। वादी ने जिस खाता नंबर 540 प्लाट नंबर 300 के बदले ब्रह्मपुर मिठाई की दुकान देने की बात कही है उस पर आवेदक ने प्रश्नचिन्ह् लगाते हुए कहा है कि वह दुकान किराये पर थी जिसका आवेदक किराया देता है और प्रमाण के

तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के अपील आदेश दिनांक–21.09.1983 की प्रति संलग्न की है। वादी ने चकबन्दी पदाधिकारी के जिस आदेश दिनांक–12.09.1989 में भगवान साहु के लड़कों द्वारा वादी के दावे का समर्थन करना कहा है उसमें आवेदक के पिता द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वाद में बिलंब कारित होने का जो तर्क दिया है वह तो सत्य प्रतीत होता है आवेदक काफी विलम्ब से इस बाद में पक्षकार बनने हेतु आया है। अब उक्त वाद अभी अंतिम बहस के लिये नियत है वाद के इस चरण में आवेदक को पक्षकार बनाने से न्यायालय का अमूल्य समय अन्तिम कार्यवाही तक खर्च होगा तथा वादी एवं प्रतिवादी को वाद संचालन में खर्च भी उठाना पड़ेगा। लेकिन मात्र तुच्छ प्रकियात्म त्रुटि या बिलंब के आधार पर किसी पक्षकार के विधिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और आवेदक को पक्षकार नहीं बनाए जाने से वाद बाहुल्यता एवं उसको होने वाली अपूरणीय क्षति को रोकना नितांत आवश्यक है।

अतः आवेदक के विधिक अधिकारों के संरक्षण एवं वाद बाहुल्यता को रोकने हेतु न्यायहित में आवेदक द्वारा किए गए विलंब के लिए आवेदक के आवेदन को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह न्यायालय का बहुमूल्य समय लेने के लिए 5000/–रूपया नजारत में जमा करेगा तथा वादी एवं प्रतिवादियों को वाद संचालन में होने वाले अनावश्यक खर्च के लिए वादी को व्यक्तिगत तौर पर 3000/–रूपये एवं प्रतिवादी को भी व्यक्तिगत तौर पर 3000/–रूपया अदा करेगा साथ ही आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अग्रिम पॉच तिथियों में अपना लिखित कथन एवं साक्ष्य को पूर्ण करेगा।

वाद दिनांक–13.03.2023. वास्ते आवेदक द्वारा लिखित कथन दाखिल करने हेतु।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव